GCMS No-2022/4

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

...ऑफ़ बडौदा, धौलपुर बनाम योगेन्द्र बाबू शर्मा

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर ...2....सन 2022
GCMS

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
5-1-2022	यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ़ फ़ाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री धीरज कुमार सिंह प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. श्री योगेन्द्र बाबू शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा पता :- बूढी माता मंदिर के पास वाली गली , गडरपुरा धौलपुर,जिला धौलपुर - 328001 , राज. , ऋणी 2. श्रीमती मीरा देवी पत्रनी श्री विनोद कुमार शर्मा पता:- माता मंदिर के पास वाली गली , गडरपुरा धौलपुर,जिला धौलपुर -328001 , राज. गारन्टर के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा, धौलपुर ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 16.02.2017 को ऋण कैश क्रेडिट खाते में रू 1.45 लाख (एक लाख पैन्तालीस हज़ार रूपये) एवं टर्म लोन ऋण खाते में रू 5.50 लाख मात्र कुल राशि 6.95 लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे | ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा की आवासीय सम्पति दो मंजिला घर आबादी एरिया, गली धर्ममियाने गदापुरा, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.) स्थित संपत्ति जिसका माप 895.74 वर्ग फीट (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार) जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व में गली , पश्चिम में गली व मकान , उत्तर में प्रकाश और कुन्दन का मकान, दक्षिण में गली है | ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है | ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर द्वारा दिनांक 29.12.2019 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया | तथा दिनांक 22.06.2020 को अधिनियम की धरा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 4,01,159.44 /- रुपये (चार लाख एक हज़ार एक सौ उन्सठ मात्र) दिनांक 30.12.2019 तक एवं दिनांक 30.12.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की | ऋणी 60 दिन	फ्रोड-18 12.1.22 To S.P. office +2 other

में ऋण राशि अदा करने में असफल रहें | अतः प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर द्वारा अपने पास बतौर बंधक राखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया | पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो | ऋणी /बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रर्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा की आवासीय सम्पति दो मंजिला घर आबादी एरिया, गली धर्रामियाने गडर पुरा, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.) स्थित संपत्ति जिसका माप 895.74 वर्ग फीट (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार) जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व में गली , पश्चिम में गली व मकान , उत्तर में प्रकाश और कुन्दन का मकान, दक्षिण में गली है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ़ बडौदा , धौलपुर को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे | पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | प्रकरण नम्बर से कम किया जावे |

आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर